दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPE एक रुपया ONE RUPEE

(69)

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

R 113- PBR/17 प्रकरण क्र........../2017

छोटेराम पुत्र स्व0 वंशीलाल, आयु वयस्क,
निवासी एवं काश्तकार-ग्राम भैंसाखेड़ी,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

झब्बूलाल पुत्र स्व0 वंशीलाल आयु 70 वर्ष,
निवासी एवं काश्तकार-ग्राम भैंसाखेड़ी,
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ---- उत्तरदाता

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बैरागढ़ वृत्त भोपाल के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/15-16 पक्षकार झब्बूलाल विरूद्ध छोटेराम में पारित अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 20/12/16 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही हैः-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि उत्तरदाता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम भैंसाखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 246/10 रकबा 6.72 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 9 रकबा 3.28 एकड़, खसरा क्रमांक 145 रकबा 0.67 एकड़ के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, उक्त अपील प्रकरण में निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 का दिनांक 16.05.2016 को प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया था कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी ने असत्य एवं मनगढंत आधारो पर अपील प्रस्तुत की है, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी आपस में सौतेले भाई हैं जिनमें अर्द्धरक्त संबंध है तथा वर्षो पूर्व ही अपीलार्थी को उसके हिस्से की भूमि प्राप्त

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-113 - PBR/17

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	